CNR No. UPME190001212025

न्यायालय – वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं02, मेरठ।

माध्यस्थ निष्पादन वाद सं० 05 सन 2025

मे० लक्ष्मी इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर बाईडिगं, मथुरा

प्रति

जिला प्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली एवं अन्य

13.08.2026

पत्रावली आज वास्ते आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थना पत्र/आपत्ति 14ग2 व प्रति आपत्ति 18ग2 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र/आपत्ति 14ग2

प्रार्थना पत्र/आपत्ति 14ग2 विपक्षीगण की तरफ से इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रोपराईटर गजेन्द्र कुमार शर्मा मेसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर बाईडिगं वर्क्स, मथुरा डिक्रीदार और महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली निर्णीत ऋणी के मध्य एक अनुबन्ध बरेली में सम्पन्न हुआ। दोनों पक्षकार के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने के पर मे० लक्ष्मी इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर बाईडिगं मथुरा द्वारा एम०एस०ई०एफ० काउन्सिल आगरा में एक रेफरेन्स सं० 290/2020 महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली के विरूद्ध योजित किया गया। एम०एस०ई०एफ० काउन्सिल, आगरा द्वारा उक्त रेफरेन्स में महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली के विरूद्ध पंचाट पारित किया गया।

उक्त पंचाट के विरूद्ध महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली द्वारा धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत एक प्रकीर्ण् वाद सं० 03/2025 वणिज्यिक न्यायालय, बरेली में योजित किया गया है जो कि वर्तमान में लम्बित है।

अनुबन्ध का निष्पादन स्थल बरेली है तथा वाद कारण भी बरेली में उत्पन्न हुआ। अतः इस विवाद पर वाणिज्यिक न्यायालय को ही विशेष एवं वैध अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

वाणिज्यिक न्यायालय, मेरठ में योजित वर्तमान आर्बिट्रेशन रिकवरी वाद में डिक्रीदार द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० (पश्चिमी) सर्किल, भारत संचार निगम लि०, मेरठ को अतिरिक्त पक्षकार बनाया गया है जो कि एम०एस०ई०एफ० काउन्सिल में योजित रेफरेन्स में पक्षकार नहीं थे।

उक्त आर्बिट्रेशन रिकवरी वाद में डिक्रीदार मथुरा का है तथा निर्णीत ऋणी बरेली का है। एम०एस०ई०एफ० द्वारा आगरा में पंचाट पारित किया है। अतः दोनों पक्षकारों में कोई भी पक्षकार मेरठ का नहीं है। डिक्रीदार द्वारा माननीय न्यायालय में आर्बिट्रेशन रिकवरी वाद योजित करना तथा मुख्य महाप्रबन्धक भारत संचार निगम लि०, मेरठ को अतिरिक्त पक्षकार बनाया जाना विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा वर्तमान आर्बिट्रेशन रिवकरी वाद पोषणीय नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित समग्र तथ्यों के प्रकाश में विपक्षी द्वारा डिक्रीदार द्वारा न्यायालय में योजित आर्बिट्रेशन रिकवरी वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की तरफ से अपनी आपत्ति 14ग2 में किये गये कथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रयागदत्त का प्रपत्र सं० 15ग2 प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षीगण की तरफ से प्रस्तुत उपर्युक्त प्रार्थना पत्र/आपत्ति 14ग2 के विरूद्ध डिक्रीदार द्वारा प्रति आपत्ति 18ग2 प्रस्तुत की गयी तथा कथन किया गया कि निर्णीत ऋणी ने गलत तथ्यों व विधि के विरूद्ध बिना वजह आर्बिट्रेटर रिकवरी में देरी करने की नीयत से आपत्ति दाखिल की है।

एम०एस०एम०ई० फेसिलिटेशन काउन्सिल, आगरा द्वारा दिनांक 21.12.2024 को जारी किये गये पंचाट में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि निर्णीत ऋणी दिनांक 30.11.2024 तक ब्याज सहित बकाया धनराशि अंकन 57,01,072/– रूपये पर अन्तिम भुगतान की तिथि तक एम०एस०एम०ई एक्ट 2006 की धारा 16 के अनुसार ब्याज जोड़ते हुए सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें।

निर्णीत ऋणी द्वारा एम०एस०एम०ई० फेसिलिटेशन काउन्सिल, आगरा द्वारा जारी किये गये पंचाट के विरूद्ध धारा 34 में अपील योजित करने के लिए निर्णीत ऋणी ने कमर्शियल कोर्ट/जिला जज, आगरा में योजित किया परन्तु कमर्शियल कोर्ट/जिला जज, आगरा द्वारा एम०एस०एम०ई० एक्ट 2006 की धारा 19 का अनुपालन करने का आदेश पारित करने के लिए पंचाट राशि का 75 प्रतिशत निक्षिप्त करने के लिए कहा गया।

निर्णीत ऋणी द्वारा एम०एस०एम०ई० एक्ट 2006 की धारा 19 के अनुपालन में 75 प्रतिशत राशि निक्षिप्त करने से बचने के लिए कमर्शियल कोर्ट/जिला जज, बरेली में अपील दाखिल की जिसमें प्रथम तिथि 11.11.2025 लगी थी जिसमें डिक्रीदार ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी तथा स्पष्ट रूप से आपत्ति दाखिल की कि कमर्शियल न्यायालय/जिला जज, आागरा के धारा 34 के आदेश का अनुपालन नहीं किया तथा पंचाट राशि का 75 प्रतिशत निक्षिप्त नहीं किया इसलिए कमर्शियल न्यायालय/जिला जज, बरेली में धारा 34 की अपील

चलने योग्य नहीं है और न ही माननीय कमर्शियल न्यायलय/जिला जज, बरेली ने कोई अन्तरिम आदेश इस आशय का पारित किया कि वसूली रोकी जावे।

निर्णीत ऋणी द्वारा अपने टेलीफोन बिल, मोबाईल बिल, इन्टरनेट बिलों का भुगतान की राशि को मुख्य महाप्रबन्धक बी०एस०एन०एल० के खाते में प्रतिदिन ट्रांसफर किया जाता है इसलिए बरेली के स्थान पर रिकवरी करने हेतु डिक्रीदार ने वसूली की रिकवरी इजराय माननीय न्यायालय में दाखिल की है जो न्यायिक रूप से व माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दाखिल की जा सकती है तथा माननीय न्यायालय को श्रवण करने व सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

डिक्रीदार का पैतृक निवास मथुरा में है तथा डिक्रीदार की फर्म का रजिस्ट्रेशान एम०एस०एम०ई०, आगरा में पंजीकृत है तथा डिक्रीदार द्वारा बरेली में टेण्डर लेकर निर्णीत ऋणी को सेवायें प्रदान करायी है और भुगतान से बचने के लिए बिना वजह भुगतान न करना पड़े, इस तरह के तर्क दाखिल करके भुगतान से बचने की कोशिश है जबकि इस तरह के तर्क कोई महत्व नहीं रखते हैं तथा इसी कारण निर्णीत ऋणी ने आपत्ति प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त वर्णित समग्र तथ्यों के प्रकाश में डिक्रीदार द्वारा निर्णीत ऋणी की आपत्ति निरस्त करके अंकन 60,35,079/– रूपये की वसूली के आदेश पारित करके निर्णीत ऋणी के मुख्य महाप्रबन्धक, बी०एस०एन०एल० मेरठ के खाते से रिकवरी आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता के साथ परिशीलन किया गया।

विपक्षीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र 14ग2 प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में यह अभिकथन किया कि प्रोपराईटर गजेन्द्र कुमार शर्मा/मे०लक्ष्मी इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर बाइडिगं वर्क्स, मथुरा/डिक्रीदार और महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली निर्णीत ऋणी के मध्य एक अनुबन्ध बरेली में सम्पन्न हुआ। दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण डिक्रीदार द्वारा एम०एस०ई०एफ० काउन्सिल, आगरा में रेफरेन्स सं० 290/2020 महा प्रबन्धक भारत संचार निगम लि०, बरेली के विरूद्ध योजित किया गया। एम०एस०ई०एफ० काउन्सिल, आगरा द्वारा उक्त रेफरेन्स में महाप्रबन्धक भारत संचार निगम लि०, बरेली के विरूद्ध पंचाट पारित किया गया।

उक्त पंचाट के विरूद्ध महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि०, बरेली द्वारा धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत एक प्रकीर्ण् वाद सं० 03/2025 वाणिज्यिक न्यायालय, बरेली में योजित किया गया है जो कि वर्तमन में लम्बित है।

अनुबन्ध का निष्पादन स्थल बरेली है तथा वाद कारण भी बरेली में उत्पन्न हुआ। अतः इस विवाद पर वाणिज्यिक न्यायालय को ही विशेष एवं वैध अधिकार क्षेत्र प्राप्त है

जिसके फलस्वरूप क्षेत्राधिकार के अभाव में डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत उक्त निष्पादन वाद निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में डिक्रीदार द्वारा अपनी आपत्ति 18ग2 के माध्यम से मुख्यतः यह कथन किया गया है कि निर्णीत ऋणी द्वारा एम०एस०एम०ई० फेसिलिटेशन काउन्सिल, आगरा द्वारा जारी किये गये पंचाट के विरूद्ध धारा 34 में अपील योजित करने के लिए निर्णीत ऋणी ने कमर्शियल कोर्ट/जिला जज, आगरा में योजित किया परन्तु कमर्शियल कोर्ट/जिला जज, आगरा द्वारा एम०एस०एम०ई० एक्ट 2006 की धारा 19 का अनुपालन करने का आदेश पारित करने के लिए पंचाट राशि का 75 प्रतिशत निक्षिप्त करने के लिए कहा गया।

निर्णीत ऋणी द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम 2006 की धारा 19 के अनुपालन में 75 प्रतिशत राशि निक्षिप्त करने से बचने हेतु वाणिज्यिक न्यायालय, बरेली में अपील योजित किया जिसमें डिक्रीदार ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी और सम्बद्ध न्यायालय द्वारा कोई अन्तरिम आदेश वसूली को रोकने हेतु पारित नहीं किया गया है।

निर्णीत ऋणी द्वारा अपने टेलीफोन बिल, मोबाईल बिल, इन्टरनेट बिलों का भुगतान की राशि को मुख्य महाप्रबन्धक बी०एस०एन०एल० के खाते में प्रतिदिन ट्रांसफर किया जाता है इसलिए बरेली के स्थान पर रिकवरी करने हेतु डिक्रीदार ने वसूली की रिकवरी इजराय माननीय न्यायालय में दाखिल की है, जो न्यायिक रूप से व माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दाखिल की जा सकती है तथा माननीय न्यायालय को श्रवण करने व सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

समग्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली/प्रश्नगत निष्पादन वाद के परिशीलन से परिलक्षित हो रहा है कि उक्त निष्पादन वाद डिक्रीदार द्वारा जिला प्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड टेलीफोन एक्सचेन्ज बिल्डिगं कैन्ट, बरेली उ०प्र० व मुख्य महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड (पश्चिमी उ०प्र० सर्किल) टेलीफोन एक्सचेन्ज बिल्डिगं पीरागढ़ी चौक, गढ़ रोड, मेरठ उ०प्र० के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए अपने इस वाद के प्रस्तर 9 में विपक्षी से वसूली करने के लिए सम्पत्ति के विवरण के प्रस्तर में यह उल्लेख किया है कि,

> *"विपक्षी बी एस एन एल, बरेली अपनी अचल सम्पत्तियों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेन्जों से टेलीफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवायें प्रदान करता है। अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने पर जनसेवायें प्रभावित होगी चूंकि बी एस एन एल, बरेली के द्वारा फोन/ मोबाइल/इन्टरनेट आदि के बिलों की प्राप्त राशियों को जो केवल प्रतिदिन हजारों में होती है उस प्राप्त राशियों को विपक्षी के द्वारा रोजाना मुख्य महाप्रबन्धक, बी एस एन एल प० उ०प्र० सर्किल, मेरठ के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।*

अतः वसूली मुख्य महाप्रबन्धक, बी एस एन एल प० उ०प्र० सर्किल, मेरठ के बैंक खाते से ही की जा सकती है।"

डिक्रीदार द्वारा अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था **<u>सुन्दरम फाईनेन्स लिमिटेड प्रति अब्दुल समन एवं अन्य ए०आई०आर० 2018 सुप्रीम कोर्ट 965</u>** संदर्भित की गयी। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनर्धारित किया गया है कि पंचाट का क्रियान्वयन उन न्यायालयों में योजित और निष्पादित किया जा सकता है, जहाँ सम्पत्ति स्थित है – मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय से डिक्री का हस्तान्तरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि डिक्रीदार द्वारा जिला प्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड, बरेली को पक्षकार के रूप में संयोजित किया है वही उनके वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड (पश्चिमी उ०प्र० सर्किल), मेरठ को भी द्वितीय पक्षकार के रूप में निरूपित किया है और इसका कारण अपने निष्पादन वाद के प्रस्तर 9 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि निर्णीत ऋणी सं० 1 द्वारा फोन/मोबाइल/इन्टरनेट आदि के बिलों को प्रतिदिन निर्णीत ऋणी सं० 2 जो उसके उच्चाधिकारी हैं तथा भारत संचार निगम लिमिटेड का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्किल, मेरठ है, के खाते में स्थानान्तरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्णीत ऋणी द्वारा विपक्षी सं० 2 को इस वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना अविधिक नहीं है तथा बरेली से प्राप्त समस्त धनराशियाँ पश्चिमी सर्किल, मेरठ को स्थानान्तरित की जाती है जिसके नाते इस प्रकरण का क्षेत्राधिकार, मेरठ में इस न्यायालय को पूर्णतः प्राप्त है।

अस्तु समग्रता के आलोक में निर्णीत ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14ग उपर्युक्तानुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्तनुसार प्रार्थना पत्र 14ग निरस्त किया जाता है।

पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिनांक 01.09.2026 को पेश हो।

(अशोक कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं० 2, मेरठ।
जे०ओ०नं०–यू०पी०–5988
दिं० 13.08.2026

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2026.08.14 16:27:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court